

**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एर्बोर (कोन्टा),
जिला – सुकमा (छत्तीसगढ़)**

--:: निविदा सूचना ::--

दिनांक2026

क्रमांक :- निविदा/2026-27

सी.एस. नं.

प्रति, मेसर्स

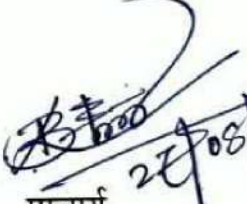
विषय:- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एर्बोर (कोन्टा), हेतु सब्जी, फल, मांसाहार, वेकरी एवं स्वीट्स सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्त

1. निविदा दर सूची में मांगी गई वजन / ब्राण्ड / मात्रा के अनुसार ही दर भरें। अपनी ओर से मात्रा, वजन, ब्राण्ड में संशोधन किये जाने से उन्हें तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जा सकेगा व अमान्य कर दिया जाएगा।
2. निविदा दें विषयांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एर्बोर (कोन्टा), एफ०ओ०आर० साथ में वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) तथा स्थानीय कर आदि सम्मिलित होना चाहिये एवं सामग्री निर्धारित संस्था में पहुंचा कर देना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. खरीदी गई सामग्री का भुगतान केवल PFMS के माध्यम से ही किया जाएगा। निविदादाता को वार्षिक कुल भुगतान राशि रुपये 2,50,000.00/- से अधिक होने पर प्रत्येक भुगतान के समय जी.एस.टी., टीडीएस टैक्स नियमानुसार कटौती की जायेगी।
4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एर्बोर (कोन्टा), की प्रबंधन समिति / उप-क्रय समिति न्यूनतम दें स्वीकृत करने को बाध्य नहीं है और अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या ना करने का अधिकार प्राप्त है।
5. क्रय समिति यदि आवश्यक समझे, दें बाजार मूल्य से अधिक ज्ञात हो तो सामग्री के मूल्यों पर सौदेबाजी (नेगोशिएशन) हेतु सभी निविदा दाताओं को बुला सकती है।
6. और सभी निविदा दाताओं को भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं। निविदादाता द्वारा दर्शाए गए प्रमाण पत्र पर फर्म का पता स्पष्ट होना चाहिए। देखा जाता है कि निविदा दाता दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा के निविदा प्राप्त कर लेता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई दुकान या फर्म नहीं होती है। दुकान / फर्म न होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. सील बंद लिफाफे पर सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम अवश्य अंकित करें साथ में अमानत राशि व डी. डी. नंबर एवं निविदा क्रय राशि व डी.डी. नम्बर स्पष्ट लिखें।
8. निविदा दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि समस्त सामग्रियों का मूल्य भरा जाये अन्यथा अस्वीकार किया जा सकता है।
9. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता का क्रेता संस्था से एक अनुबंध होगा और निविदा दाता निविदा में दी गई शर्तों, सामान्य वित्तीय नियमों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एर्बोर (कोन्टा), की ई.एम.आर.एस. प्रबंधन समिति एवं विद्यालय की खरीदी सलाहकार उप-समिति, जिला सुकमा (छ.ग.), के नियम व शर्तों के पालन हेतु बाध्य होगा और जी०एफ०आर० का पालन अनिवार्य होगा।

10. निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ निर्धारित अमानत राशि (ई०एम०डी०) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एराबोर (कोन्टा), जिला सुकमा के पक्ष में देय होगा, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह अमानत राशि निविदा के स्वीकृत होने पर टी.डी. आर के रूप में जमा करनी होगी जो कि अनुबंध की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वापस कर जाएगी। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। असफल / अचयनित निविदादाताओं की अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद वापस कर दी जाएगी।
11. यदि निविदा दाता निर्धारित समय में सामग्री आपूर्ति करने में असफल होता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता बाजार से क्रय करने और शेष अनुबंध दूसरे फर्म से पूरा करने के लिए स्वतंत्र है तथा अंतर राशि को जमा अमानत / सुरक्षा राशि अथवा भुगतान से काटने हेतु स्वतंत्र है। शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी। अंतर राशि अधिक होने पर निविदा दाता द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान करना होगा। यदि दोबारा आपूर्ति समय एवं मांग अनुसार सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है तो अमानत राशि / सुरक्षा निधि राजसात कर फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। एक बार अवसर देने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
12. सामान्यतः बिल प्राप्ति के उपरान्त कम से कम भुगतान में 15 से 45 दिनों का समय लग सकता है। इसके पूर्व किसी तरह का दबाव मान्य नहीं होगा। विद्यालय में फण्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में इससे अधिक समय भी लग सकता है। निविदा दाताओं को विद्यालय को सामग्री के साथ ही बिल उपलब्ध कराना होगा विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान में होने वाली देरी की जिम्मेदारी निविदा दाताओं की होगी।
13. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच जमा किए गए नमूना से मिलान कर किया जायेगा। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा और उसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रदायकर्ता से की जाएगी।
14. निविदा दें 31 मार्च 2027 अथवा नई निविदा होने तक मान्य होंगी। ब्राण्डेड सामग्री के साथ पैकेट में यदि कोई निःशुल्क उपहार योजना है, तो उसे निविदा दाता को सामग्री के साथ निःशुल्क देना होगा और उसे बिल में भी अंकित करना होगा।
15. प्रत्येक वस्तु एवं कार्यों के लिए तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली का पृथक-पृथक लिफाफा अमानत राशि एवं वांछित अभिलेख के साथ संलग्न कर जमा करना होगा।
16. निविदा खुलने के पश्चात निविदा की शर्तों को निविदादाता को मानना अनिवार्य होगा। निविदा खुलने के पश्चात एल-1 में आने पर निविदा वापस लेने की स्थिति में अमानत राशि को जब्त करते हुए काली सूची में डालने एवं अग्रिम 2 वर्षों के लिए एकलव्य विद्यालयों में निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने की कार्यवाही की जाएगी।
17. निविदा खुलने के दौरान यदि कोई निविदादाता अपमानजनक टिप्पणी या अमर्यादित व्यवहार करता है तो इस स्थिति में उसको निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। किन्तु यदि निविदा खुल गयी है तो उपरोक्त बिन्दु 19 के अनुसार काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। निविदा खुलने के उपरान्त मूल्यांकन प्रत्येक वस्तु के आधार पर किया जाएगा जिनमें प्रत्येक वस्तु के न्यूनतम उद्धृत दर को ध्यान में रखते हुये एक से अधिक फर्म/संस्था को निविदा प्रदान किया जा सकता है।
18. आवश्यक होने पर निविदादाता को सामग्रियों का नमूना निविदा खुलने की तिथि के पूर्व लाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नमूना का प्रदर्शन स्वयं करना होगा।
19. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
 - i. जी०एस०टी० पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं माह अप्रैल 2026 तक की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति। जिसमें कोई बकाया अंकित न हो।
 - ii. फर्म/कम्पनी/संस्थान का नगर पंचायत द्वारा जारी व्यवसाय का पता प्रमाण पत्र।
 - iii. फर्म / कम्पनी / संस्थान द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न विवरण।

- iv. अमानत राशि / सुरक्षा निधि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोन्टा, जिला सुकमा के पक्ष में हो।
- v. फर्म / कम्पनी / संस्थान / व्यक्ति का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- vi. फर्म / कम्पनी / संस्थान / व्यक्ति / साझेदार का पहचान प्रमाण-पत्र।
- vii. पैन नंबर।
- viii. फर्म अथवा कम्पनी के पंजीकरण के समय जी.एस.टी. विभाग को आवेदित फर्म के व्यवसाय से संबंधित एच.एस.एन. कोड संबंधी प्रमाण-पत्र।
- ix. निविदाकार यदि किसी वस्तु का अधिकृत विक्रेता है तो सक्षम स्तर पर जारी ऑथराइजेशन प्रमाण पत्र।
- x. निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं सामग्री सूची प्राप्त करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 12.09.2026 तक के मान्य होंगे।
22. सब्जी, फल, एवं मांसाहार सामग्री में जी०एस०टी० पंजीयन अनिवार्य नहीं है किन्तु जी०एस०टी० वाले फर्म से प्राप्त प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।
23. निविदा में एल-1 चयनित होने के उपरान्त अमानत राशि को टी.डी.आर के रूप में प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एराबोर (कोन्टा), के नाम बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। टी. डी. आर. जमा करने के पश्चात ही चयनित एल-1 को अमानत राशि की डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस किया जाएगा एवं कायदेशि जारी किया जाएगा।
24. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार खरीदी सलाहकार उप-समिति के पास सुरक्षित है।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदा हेतु गठित विद्यालय खरीदी सलाहकार उप-समिति एवं कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

हस्ताक्षर निविदा दाता


प्राचार्य 25/08/26

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
एराबोर (कोन्टा), जिला-सुकमा (छ0ग0)

हस्ताक्षर निवदा दाता

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
एराबोर (कोन्टा), जिला-सुकमा (छ0ग0)

अमानत राशि का विवरण इस प्रकार है :-

क्र०	सामग्री का नाम	अमानत राशि / सुरक्षा निधि
1	सब्जी सामग्री	8000.00
2	फल सामग्री	8000.00
3	मांसाहार सामग्री	8000.00
4	बेकरी एवं स्वीट	8000.00

निविदा दाता / आपूर्ति कर्ता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र (100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

मैं / मेसर्स _____ निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त कंडिकाओं क्रमांक 01 से 27 और संलग्न सामग्री सूची में अंकित दरों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एराबोर (कोन्टा) की जिला स्तरीय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय खरीदी सलाहकार उप-समिति द्वारा दिये गये मापदंड से सहमत हूँ तथा संलग्न नियमों का पालन करते हुए प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एराबोर (कोन्टा), की जिला समिति एवं विद्यालय खरीदी सलाहकार उप-समिति द्वारा चाही गयी सामग्री समय पर प्रदाय करूंगा एवं कार्य संपादन करूंगा। मुझे / हमको भली-भाँति विदित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय हेतु न्याय क्षेत्र न्यायालय होगा।

साक्ष्य हस्ताक्षर कर्ता का नाम एवं पता

01. _____

02. _____

(हस्ताक्षर फर्म का नाम एवं

पत्र व्यवहार का पूरा पता सहित प्रतिष्ठान की मोहर)

व्हाट्सएप नं _____